

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-206/16**  
**संस्थापित दिनांक-11.07.2016**  
Filling no-235103004692016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- करण सिंह पुत्र लम्पूलाल विश्वकर्मा उम्र 35 साल निवासी सिंहपुरताल चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 .....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 14.11.2017 को घोषित)**

**01-** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग 2 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 04.07.2016 को रात 9 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम सिंहपुर ताल चंदेरी में फरियादी रीनाबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य को क्षोभ कारित किया एवं रीनाबाई की चांटो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं रीनाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी रीनाबाई ने थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.07.2016 रात 9 बजे उसके ककिया ससुर करण सिंह मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी व चांटे मारे व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट की जिसपर थाना हाजा पर अ0क0 315/16 धारा 323, 294, 506 भा0द0वि0 कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**03-** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

<b>1.</b>	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.07.2016 को रात 9 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम सिंहपुर ताल चंदेरी में फरियादी रीनाबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य को क्षोभ कारित किया ?
<b>2.</b>	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी रीनाबाई की चांटो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
<b>3.</b>	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी रीनाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**विचारणीय प्रश्न क0 1 व 3:—**

**05—** विचारणीय प्रश्न क. 1 व 3 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी रीनाबाई अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह आरोपी करण सिंह को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 5—6 महीने की होकर शाम को लगभग 9 बजे की है। उक्त साक्षी का कहना है कि करण सिंह से उसने पूछा कि क्या हुआ तो करण नहीं मां बहन की गालियां देकर बोला कि तेरे पति को लौटा लो नहीं तो मारकर फेक देगे, तुम्हारा पति हमारे खिलाफ रिपोर्ट करने जा रहा है। उक्त साक्षी का कहना है कि करण सिंह ने कहा था कि रिपोर्ट की तो तुझे व तेरे पति को जान से खत्म कर देगे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब आरोपी ने गालियां दी तब वह मौके पर उपस्थित नहीं थी। अशोक विश्वकर्मा अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि कोक सिंह ने उसे बताया था कि रीनाबाई ने पूछा कि क्या बात है मुझे बताओ तो आरोपी ने बुरी—बुरी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। संजू बाई अ0सा04 ने उसके कथनो मे बताया कि घटना के समय उसकी देवरानी बर्तन धो रही थी तभी अभियुक्त करण सिंह आया और गाली गलौच करने लगा। उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में यह व्यक्त नहीं किया कि आरोपी द्वारा उन्हे मां बहन की कौन सी गालियां उच्चारित की थी और न ही इस बारे में कोई कथन दिये कि उक्त गालियों से उन्हें क्षोभ कारित हुआ हो और न ही साक्षी ने यह व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा उसे लोक स्थान पर गालियां दी गई थी।

**06—** फरियादी रीनाबाई उसके कथनो में व्यक्त किया कि आरोपी करण ने उससे कहा था कि रिपोर्ट की तो तुझे और तेरे पति को जान से खत्म कर देगे। उक्त

साक्षी के अलावा किसी अन्य साक्षी ने फरियादी के उक्त बात का समर्थन नहीं किया है। फरियादी रीनाबाई अ0सा01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इसके विपरीत प्रकरण के अवलोकन से घटना के पश्चात ही घटना दिनांक को सूचनाकर्ता रीनाबाई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखाये जाने का तथ्य फरियादी को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास्त कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है।

**07—** उल्लेखनिय है कि भा0द0स0 की धारा 503 में परिभाषित “आपराधिक अभित्रास” का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिससे धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध घटित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। **शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग-2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

**08—** फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रीनाबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

#### **वादप्रश्न क0 2:—**

**09—** रीनाबाई अ0सा01 ने उसके कथनों में बताया कि करन सिंह ने उसे बाएं गाल पर चांटा मारा और पीछे गर्दन में मारा था जिससे उसे चोट आई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके पति व ससुर घर पर नहीं थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में साक्षी

ने बताया कि चोटे उसे बाएं गाल और सिर में पीछे मुंदी चोट आई थी जो उसने डॉक्टर को बता दी थी।

**10—** फरियादी रीनाबाई के पति अशोक विश्वकर्मा अ0सा02 ने बताया कि वह आरोपी को जानता है जो उसका चाचा है। घटना के समय वह खेत पर था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे कोक सिंह ने घटना के बारे में बताया था और जब वह घर पहुँचा तो लड़ाई शांत हो चुकी थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे कोकसिंह ने बताया था कि करन सिंह, रीनाबाई की मारपीट कर रहा है तुम कहा गये थे, उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी पत्नी को एक चांटा गाल में व चांटा सिर में मारा था। अशोक विश्वकर्मा अ0सा02 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका जमीन का विवाद चल रहा है तथा घटना वाले दिन उसने आरोपी करन सिंह का ट्रेक्टर रोका था क्योंकि वह उसकी जमीन पर ट्रेक्टर चला रहा था।

**11—** संजूबाई अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि घटना के समय अभियुक्त करन सिंह आया और रीना के साथ गाली गलौच करने लगा, किन्तु अभियुक्त करन द्वारा उसके समक्ष देवरानी रीना को नहीं मारा गया था, केवल गाली गलौच की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि करन सिंह ने रीना को एक चांटा मारा व बांये गाल में भी मारा। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि वह मौके पर नहीं थी और उसने आरोपी को मारपीट करते हुए नहीं देखा है। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी मुन्नीबाई अ0सा03 एवं कोकसिंह अ0सा05 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने घटना का कोई समर्थन नहीं किया।

**12—** पहलवान सिंह चौहान अ0सा06 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 04.07.2016 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसे अ0क0 315/16 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने साक्षी रीनाबाई, कोकसिंह, संजूबाई, मुन्नीबाई, अशोक के कथन लेखबद्ध किये थे और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 तैयार किया था। पहलवान सिंह चौहान अ0सा06 ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादिया का पति पुलिस का वाहन चलाता था, इस कारण उसके प्रभाव में आकर आरोपी के विरुद्ध झुठा प्रकरण बनाकर गलत रूप से फसाया है। राधेवेंद्र ताडके अ0सा07 ने बताया कि वह दिनांक 04.07.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे और उक्त दिनांक को आहत रीनाबाई का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें आहत को कोई नवीन बहारी चोट नहीं होना पाया था, उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**13—** उपरोक्तानुसार किये गये साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर रीनाबाई के साथ मारपीट किये जाने के कथन प्रतिपरीक्षण में भी सारतः अखण्डनीय रहे हैं। घटना के संबंध में रीनाबाई के कथनों की समपुष्टि सुसंगत, अविलम्ब, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है, यद्यपि रीनाबाई को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होता है, क्योंकि रीनाबाई द्वारा उसके कथनों में आरोपी द्वारा उसे चांटे मारने वाली बात व्यक्त की है, जिसके संबंध में मेडिकल रिपोर्ट में उक्त चोट के संबंध में कोई बाहरी चोट न होना चिकित्सीय साक्षी डॉ. राघवेन्द्र ताडके द्वारा व्यक्त किया है। अभिलेख पर आहत रीनाबाई के कथनों में अविश्वास किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है। अतः उक्त समस्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रीनाबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य लोगो को क्षोभ कारित किया एवं रीनाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। किन्तु पूर्व विवेचना में यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रीनाबाई की चांटों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग दो का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है, परन्तु धारा 323 भा0द0स0 के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

**14—** दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

**पुनश्च:-**

**15—** उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत उदारता पूर्वक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि अभियुक्त युवास्था का व्यक्ति है और आरोपी का यह प्रथम अपराध है। अतः उदारता पूर्वक दण्डादेश से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है।

**Criminal Case No-206/16**

**16—** अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिससे आरोपी का यह प्रथम अपराध होना अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है । आरोपी एवं आहत एक ही परिवार के व्यक्ति है। अतः प्रकरण के तथ्य, आहत को कोई बाहरी चोट न होने एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

अभियुक्त	आहत	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
करन सिंह	रीनाबाई	323	न्यायालय उठने तक की सजा	200 /—	7 दिवस

**17—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**18—** प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

**19—** अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

**20—** अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

***Criminal Case No-206/16***

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित  
कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0